MEDIA BEAT

An occasional column on significant developments in the media world

By Ashok Mansukhani

मीडियाबीट

मीडिया की दुनिया में महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक सामयिक स्तंभ

लेखकः अशोक मनसुखानी

HISTORIC SOCIAL AND DIGITAL MEDIA GUIDELINES WITH AN OVERARCHING EXECUTIVE CONTROL

In the last month's column, I had stated that we would have to wait till March 2021 to await further developments on Social Media/ O.T.T. Regulations. The Regulations came a few days earlier, on February 25, 2021, and are sweeping in scope and intent but with tight executive control.

A. BACKGROUND TO THE NEW REGULATIONS

On February 25, 2021, the Government issued an Omnibus Regulation titled **Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code 2021**. In its Press Note published on the same day, Government gave the background which impelled it to issue the New Regulations:

- It acknowledged that Digital India had become a movement that empowered common Indians with the power of Technology. The extensive spread of mobile phones and the Internet had enabled many social media platforms to expand their footprint in India. People were also using these platforms in a significant way. The Government acknowledged and stated it *"respected the right of every Indian to criticise, which is an essential element of democracy."*
- The Government made it very clear that while India is

एक व्यापक कार्यकारी नियंत्रण के साथ ऐतिहासिक सामाजिक और डिजिटल मीडिया दिशा–निर्देश

*पिछले महीने के कॉलम में मैंने कहा था कि हमें सोशल मीडिया/ओटीटी विनियमों पर आगे की घटनाक्रम की प्रतिक्षा करने के लिए मार्च **2021** का इंतजार करना होगा। विनियम कुछ दिन पहले आये थे, यह गुंजाइश और इरादे में व्यापक है लेकिन कठोर कार्यकारी नियंत्रण के साथ।*

ए. नये नियमों के लिए पृष्ठभूमि

25 फरवरी **2021** को सरकार की **मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021** नामक एक सर्वव्यापी नियमन जारी किया। उस दिन प्रकाशित अपने प्रेस नोट में सरकार ने पृष्ठभूमि दी जिसने इसे नया प्रतिबंध जारी करने के लिए बाध्य कियाः

- यह स्वीकार किया कि डिजिटल इंडिया एक आंदोलन बन गया था जिसने तकनीकी की शक्ति के साथ आम भारतीयों को सशक्त बनाया। मोबाइल फोन व इंटरनेट के व्यापक प्रसार ने भारत में अपने पदचिन्ह का विस्तार करने के लिए कई सामाजिक मीडिया प्लेटफार्मो को सक्षम किया था। लोग इन प्लेटफार्मो को भी महत्वपूर्ण रूप से उपयोग कर रहे थे। सरकार ने इसे स्वीकार किया और कहा *'आलोचना करने के लिए हर भारतीय के अधिकार का सम्मान किया, जो लोकतंत्र का एक अनिवार्य तत्व है।'*
- सरकार ने यह स्पष्ट किया कि भारत विश्व की सबसे बड़ी ओपन

the world's largest open Internet Society, and the Government welcomes social media companies to operate in India, do business and earn profits, *"they will have to be accountable to the Constitution and laws of India"*.

- The Press Note listed **five developments** that compelled the Government to issue the new Regulations. These include:
  - **Fake News** leading to many platforms creating fact check mechanisms.
  - **Morphed images** of women in content related to revenge porn have threatened the dignity of women.
  - **Social Media** has been misused for settling corporate rivalries in a blatantly unethical manner, becoming a significant concern for businesses.
  - **Abusive language, defamatory and obscene content, and blatant disrespect** to religious sentiment platforms are growing.
  - **Social media** has been misused by criminals, anti-national elements, including inducement for recruitment of terrorist circulation of obscene content, the spread of disharmony, financial frauds incitement to violence, public order.

Further, it highlighted certain **significant developments** that prompted the Government to issue the New Regulations:

- The Supreme Court, in an order dated December 11, 2018, in the **Prajwala** case **in Criminal Petition no 3 of 2015**, had directed the Government to frame necessary guidelines for setting up standard operating processes to *"eliminate child pornography, rape and gang rape imageries, videos, and sites in content hosting platforms"*.
- The Supreme Court, during the hearing of the Transfer Petition filed by **Facebook Incorporated vs Union of India** in **Transfer Petition number 1943 – 1946 /2019**, had directed the Government to notify a timeline for *"setting up a framework to find out persons/institutions/parties' originators of such content/messages to get information from the intermediaries"* in an order dated September 24, 2019. It stated that *"various messages and the content spread/shared on social media are harmful. Some messages can incite violence. There may be messages which are against the sovereignty and integrity of the country. Social media has become a*

इंटरनेट सोसाइटी है और सरकार भारत में काम करने और मुनाफा कमाने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों का स्वागत करती है, *'उन्हें भारत के संविधान और कानूनों के प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा।'*

- प्रेस नोट ने **पांच विकास** सूचीबद्ध किये हैं जो सरकार नये विनियम जारी करने के लिए मजबूर करते हैं। इसमें शामिल हैः
  - **फेक न्यूज** के चलते कई प्लेटफार्मो को तथ्य जांच के लिए तंत्र बनाना पड़ा।
  - बदला लेने वाली पोर्न से संबंधित सामग्रियों में महिलाओं की **असंवद्ध छवियों** ने महिलाओं की गरिमा को खतरे में डाल दिया।
  - अनैतिक तरीके से कॉर्पोरेट प्रतिद्वंदिता को निपटाने के लिए **सोशल मीडिया** का दुरूपयोग किया गया, जो व्यवसायों के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बन गया।
  - **अपमानजनक भाषा, अपमानजनक और अश्लील सामग्री** और धार्मिक भावना प्लेटफार्मो के प्रति असम्मान बढ़ रहा है।
  - अपराधियों, राष्ट्रविरोधी तत्वों, द्वारा **सोशल मीडिया** का दुरूपयोग किया गया है जिसमें अश्लील सामग्री के आतंकवादी भर्ती के लिए अभियान, धर्म प्रसार, वित्तीय धोखाधड़ी हिंसा, सार्वजनिक व्यवस्था के लिए उकसाना।

इसके अलावा इसने कुछ महत्वपूर्ण विकासवाद को उजागर किया जिससे सरकार को नये विनियम जारी करने में मदद मिलीः

- सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर 2018 को **आपराधिक याचिका में प्रज्वला संख्या 3 के मामले में 2015** को एक आदेश में कहा था कि सरकार को कंटेंट होल्डिंग प्लेटफार्म में *चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार की नकल, वीडियो, साइटों को खत्म करने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं* को स्थापित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया था।
- सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर याचिका **संख्या 1943–1946/2019 में फेसबुक इनकॉर्पोरेटेड बनाम भारत गणराज्य द्वारा दायर ट्रांसफर याचिका** की सुनवाई के दौरान सरकार ने 24 सितंबर 2019 के एक आदेश में *'विचौलियों से जानकारी प्राप्त करने के लिए इस तरह के कंटेंट/मेसेज भेजने वालों के बारे में पता लगाने के लिए एक फ्रेमवर्क स्थापित करने* के लिए एक समयसीमा को अधिसूचित करने का निर्देश दिया था।

  इसमें कहा गया है कि *'विभिन्न संदेश और सोशल मीडिया पर फैली /साझा की गयी सामग्री हानिकारक है। कुछ संदेश हिंसा भड़का सकते हैं। ऐसे संदेश हो सकते हैं जो देश की संप्रभुता व अखंडता के खिलाफ हों। सोशल मीडिया बड़ी मात्रा में पोर्नोग्राफी*

source of a large amount of pornography. Paedophiles use social media in a big way. Drugs, weapons, and other contraband can be sold through the use of platforms run by intermediaries."

- The Supreme Court noted that technologies are available that enable the intermediaries to de-encrypt the encrypted messages as and when the need arises. *Decryption, if available, could defeat the fundamental right to privacy, and decryption of messages may be done under exceptional circumstances but must be ensured that the sovereignty of the state and the individual's dignity are required to be protected.* To detect, prevent, and investigate certain criminal activities, it may be necessary to obtain such information decryption key encryption, and Regulation of the originator's identity may be required in other cases that have been highlighted earlier.
- Replying to a **calling attention notice** in Parliament on **July 26, 2018**, the Government had assured to *"strengthen the legal framework and make social media platforms accountable under the law"*.
- The **Ad Hoc Committee** of the Rajya Sabha, which made its report on February 3, 2020, after studying the impact of pornography and its effect on children and society, had *"recommended identifying the first originator of such contents"*.
- **Need for a level playing field in all forms of communication.**

The Government indicated that it wanted to create a level playing field between all forms of communication. It observed that intermediaries were now publishers too and claimed that its Regulations are a *"fine blend of liberal touch with a gentle self-regulatory framework"*.

The Regulations are divided into two parts- one for **Social Media** and the other for **Digital Media**.

B. SOCIAL MEDIA:

The salient highlights of the Regulations are:

1. **Due Diligence by Intermediaries.** These are entities that store or transmit data on behalf of other persons. These would include Internet or telecom service providers, online marketplaces on social media platforms. The entire burden of due diligence has been put on the intermediaries and more so on the **significant social media intermediaries**, which have a larger threshold as specified by the Government. They have to

का स्रोत बन गया है। पीडोफाइल सोशल मीडिया का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं। बिचौलियो द्वारा चलाये जा प्लेटफार्मों के उपयोग के माध्यम से ड्रग्स, हथियार और अन्य कंट्राबेंड को बेचा जा सकता है।'

- सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जब जरूरत पड़ती है तो एन्क्रिप्टेड संदेशों को डी एनक्रिप्ट करने के लिए बिचौलियो के लिए तकनीकी उपलब्ध है। *डिक्रिप्शन यदि उपलब्ध हो, तो निजता के मौलिक अधिकार को पराजित कर सकता है और संदेशों की डिक्रिप्शन असाधारण परिस्थितियों में किया जा सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए की संप्रभुत्ता और व्यक्ति की गरिमा को संरक्षित करने की आवश्यकता है।* कुछ आपराधिक गतिविधियों का पता लगाने, रोकने और उनकी जांच करने के लिए इन सूचनाओं को डिक्रिप्शन प्राप्त करना आवश्यक हो सकता है। मुख्य एन्क्रिप्शन और प्रवर्तक की पहचान का विनियमन अन्य मामलों में आवश्यक हो सकता है जिन्हें पहले हाइलाइट किया गया है।
- **26 जुलाई 2018** को संसद में एक **ध्यान देने वाले नोटिस** का जवाब देते हुए सरकार ने 'कानूनी ढ़ांचे को मजबूत करने और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को कानून के तहत जवाबदेह बनाने का आश्वासन दिया था।
- राज्यसभा की **तदार्थ समिति** जिसने 3 फरवरी 2020 को पोर्नोग्राफी के प्रभाव व बच्चों और समाज पर इसके प्रभाव का अध्ययन करने के बाद अपनी रिपोर्ट बनायी थी, ने ऐसी सामग्री के *पहले प्रवर्तक की पहचान करने की सिफारिश की थी।*
- **संचार के सभी रूपों में एक स्तर के खेल के मैदान की आवश्यकता होती है।**

सरकार ने संकेत दिया कि वह संचार के सभी रूपों के बीच एक स्तरीय खेल मैदान बनाना चाहती है। यह देखा गया है कि बिचौलिये अब प्रकाशक भी थे और उन्होंने दावा किया कि इसका विनियम *'कोमल नियामक ढांचे के साथ उदार स्पर्श का एक अच्छा मिश्रण है।'*

विनियम दो भागों में विभाजित है–एक **सोशल मीडिया** के लिए और दूसरा **डिजिटल मीडिया** के लिए।

बी. सोशल मीडियाः

विनियमों के मुख्य आकर्षण हैंः

1. **बिचौलियो द्वारा देय परिश्रम**। ये ऐसी संस्थायें हैं जो अन्य व्यक्तियों की ओर से डेटा को स्टोर या संचारित करती है। इनमें सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर ऑनलाइन मार्केट प्लेस इंटरनेट या दूरसंचार सेवा प्रदाता शामिल होंगे। नियत परिश्रम का पूरा बोझ बिचौलियों पर डाला गया है, और अधिक **महत्वपूर्ण सोशल मीडिया बिचौलियों** पर, जो सरकार द्वारा निर्दिष्ट की गयी सीमा से अधिक है। उन्हें करना है

i) **Prominently publish** on its website, mobile-based application of both, as the case the rules and regulations, privacy policy and user agreement for access for usage of its computer resource for any person. **Rule 3 (1) (a).**

ii) **Provide the rules and regulations**, privacy policy, or user agreement of the intermediaries shall inform the user of this computer resource not to post, display, upload, modify, publish, transmit, store update for shared information in ten distinct categories. **Rule 3 (1) (b).**

iii) **Inform users and frame Regulations**, privacy policy and terms and conditions for usage of services. **Rule 3 (1) (c).**

iv) The intermediaries have to **block access** to unlawful information within **36 hours** upon an order from the Court or the Government. **Rule 3 (d).**

v) The intermediaries have to **retain information** collected for the user's registration for **180 days** after cancellation or withdrawal of the registration. **Rule 3 (1) (g)/(h).**

vi) The intermediaries have to **report cybersecurity incidents** and share information with the Indian Computer Emergency Team. **Rule 3 (1)(l)**

2. Additional Due Diligence by Significant Social Intermediaries (more than 50 lakh users)

The additional steps the **significant social intermediaries** have to take are:

- Appoint a **Chief Compliance Officer** to ensure compliance with the Act and Rules and be a senior person and resident in India. **Rule 4 (a).**
- Appoint a **Nodal Contact Person** for 24x7 coordination with law enforcement agencies and be a resident in India. **Rule 4 (b).**
- Appoint a **Redressal Grievance Officer** shall perform the functions mentioned under the previous redressal media measurement. They shall acknowledge the complaint within 24 hours and resolve the complaint within 15 days—**Rule 4 (c)**.
- A **monthly compliance report** will be published by all significant social media intermediaries containing the details regarding the complaints received; the action was taken on these complaints and the number of links for information removed while using proactive monitoring through automated tools. **Rule 4 (d).**

i) किसी भी व्यक्ति के लिए कंप्यूटर संसाधन के उपयोग के लिए नियम और कानून, गोपनीयता नीति और उपयोगकर्ता समझौते के मामले में अपनी वेबसाइट दोनों के मोबाइल आधारित एप्लिकेशन पर **प्रमुखता से प्रकाशित करें। नियम 3 (1)(ए)**

ii) **नियमों व विनियमों,** गोपनीयता नीति प्रदान करें या मध्यस्थों के उपयोगकर्ता समझौते इस कंप्यूटर संसाधन के उपयोगकर्ता को दस अलग–अलग श्रेणियों में साझा जानकारी के लिए पोस्ट, डिस्प्ले, अपलोड, संशोधित, प्रकाशित, संचारित, स्टोर अपडेट नहीं करने के लिए सूचित करेंगे। **नियम 3 (1) (बी)**

iii) **उपयोगकर्ताओं को सूचित करें और सेवाओं के उपयोग के बारे में फ्रेमवर्क**, गोपनीयता नीति और नियम व शर्तें। **नियम 3 (1) (सी)**

iv) मध्यस्थों को अदालत या सरकार के एक आदेश पर **36 घंटे** के भीतर गैरकानूनी जानकारी तक **पहुंच को रोकना** होगा। **नियम 3 (1) (डी)**

v) मध्यस्थों के पंजीकरण रद्द करने या वापस लेने के 180 दिनों के लिए उपयोगकर्ता के पंजीकरण के लिए एकत्रित **जानकारी को बनाये रखना** होगा। **नियम 3 (1) (जी/(एच)**

vi) मध्यस्थों को **साइबर सुरक्षा घटनाओं की रिपोर्ट** करना और भारतीय कंप्यूटर आपतकालीन टीम के साथ जानकारी साझा करना है। **नियम 3 (1) (एल)**

2. महत्वपूर्ण सामाजिक मध्यस्थों द्वारा अतिरिक्त देय परिश्रम (50 लाख से अधिक उपयोगकर्ता)

महत्वपूर्ण सामाजिक मध्यस्थों के लिए अतिरिक्त कदम हैंः

- अधिनियम व नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने और भारत में एक वरिष्ठ व्यक्ति व निवासी होने के लिए एक **मुख्य अनुपालन अधिकारी** को नियुक्त करें। **नियम 4 (ए)**
- कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ 24X7 समन्वय के लिए एक **नोडल संपर्क व्यक्ति** की नियुक्ति करें और भारत का निवासी बने। **नियम 4 (बी)**
- एक **निवारण शिकायत अधिकारी** नियुक्त करें जो पिछले निवारण मीडिया माप के तहत उल्लेखित कार्य करेगा। वे 24 घंटे के भीतर शिकायत स्वीकार करेंगे और 15 दिनों के भीतर शिकायत का समाधान करेंगे। **नियम 4 (सी)**
- सभी महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों द्वारा **एक मासिक अनुपालन रिपोर्ट** प्रकाशित की जायेगी जिसमें प्राप्त शिकायतों के बारे में विवरण होगा, इन शिकायतों व स्वचालित साधनों के माध्यम से सक्रिय निगरानी का उपयोग करते हुए हटाये गये जानकारी के लिए लिंक की संख्या पर कार्रवाई की गयी। **नियम 4 (डी)।**

3. Take Down Provisions

An intermediary, after receiving **actual knowledge** through court order or being notified by a Government Agency, is that is prohibited by law in relation to the interest of the sovereignty are ***bound to remove information*** affecting the integrity of India, the security of the state, friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, contempt of Court, defamation, incitement to an offence or information which violates any law which is in force such information has to be removed within a duration of **36 hours** from receipt of the actual knowledge by the intermediary. **(Rule 3 (1) (d)**.

To ensure online safety and dignity of users, especially women users, the intermediary shall **remove or disable access** within **24 hours** of receipt of complaints of contents that explore the private areas of individuals, show such individuals in full or partial nudity and the sexual Act of the nature of impersonation, including morphed images. Such a complaint can be filed by the individual or by any other person on their behalf. The mechanism for this type of complaint is to be provided by the intermediaries. **Rule 3 (2) (b)**

4. Identification of the first originator

In compliance with the Supreme Court directions and discussion in Parliament, the Regulations stipulate that significant social media intermediaries shall ***enable identification of the first originator*** of the information that is required for prevention, detection, investigation, prosecution and punishment of an offence related to the sovereignty and integrity of India, the security of the state, and relations with foreign countries are affected, public order or incitement to an offence in connection with sexually explicit material for child abuse material punishable with an imprisonment term of not less than five years. The intermediaries ***shall be not required to disclose the contents of any message or any information to the first originator.*** This will be done if an order under **Section 69** of the Information Technology Act is issued or judicial order is given. **Rule 4(2).**

5. Automated Filtering

A significant social media intermediary shall endeavour to deploy technology-based measures such as automated tools for other mechanisms for ***proactively identifying information*** that falls in the following categories:

3. प्रावधान को देखें

अदालत के आदेश के माध्यम से **वास्तविक ज्ञान** प्राप्त करने या सरकारी एजेंसी द्वारा अधिसूचित किये जाने के बाद एक मध्यस्थ, जो संप्रभुता के हित के संबंध में कानून द्वारा निषिद्ध है, भारत की अखंडता को प्रभावित करने वाली ***जानकारी को हटाने को बाध्य है***, राज्य की सुरक्षा, अनुकूल विदेशी राज्यों के साथ संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि या किसी सूचना का उल्लंघन जो किसी ऐसे कानून का उल्लंघन करता है जो ऐसी जानकारी है जो वास्तविक ज्ञान प्राप्त होने के **36 घंटे** के भीतर मध्यथ द्वारा हटा दिया जाना चाहिए। **(नियम 3 (1) (डी)** उपयोगकर्ताओं, विशेष रूप से महिला उपयोगकर्ताओं की ऑनलाइन सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए, मध्यस्थ उन सामग्रियों की शिकायत प्राप्त होने के **24 घंटे** के भीतर **पहुंच को अक्षम या नष्ट कर** देगा, जो व्यक्तियों के निजी क्षेत्र का पता लगाता है, ऐसे व्यक्तियों को पूर्ण या आंशिक नग्नता में और प्रतिरूपित चित्रों सहित प्रतिरूपण की प्रकृति के सेक्सुअल एक्ट, रूपांतरण छवियों सहित। इस तरह की शिकायत व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपनी ओर से दर्ज की जा सकती है। इस प्रकार की शिकायत के लिए तंत्र बिचौलियों द्वारा प्रदान की जानी चाहिए। **नियम 3 (2) (बी)**

4. पहले प्रवर्तन की पहचान

संसद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों व चर्चा के अनुपालन में, विनियम यह बताते हैं कि महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ को संप्रभुता से संबंधित अपराध की रोकथाम, पता लगाने, जांच, अभियोजन और सजा के लिए आवश्यक जानकारी के ***पहले प्रवर्तक की पहचान करने में सक्षम करेगा*** जिसकी जरूरत भारत की संप्रभुत्ता और अखंडता से संबंधित अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, जांच अभियोजन और सजा के लिए आवश्यक है, राज्य की सुरक्षा, और विदेशी देशों के साथ संबंध प्रभावित होते हैं, सार्वजनिक आदेश या पांच साल से कम नहीं के कारावास की सजा के साथ बाल शोषण सामग्री के लिए यौन रूप से स्पष्ट सामग्री के संबंध में अपराध भी शामिल है। बिचौलिये को ***किसी भी संदेश या किसी भी जानकारी की सामग्री का खुलासा करने की आवश्यकता होगी***। यह तब किया जायेगा जब सूचना तकनीकी अधिनियम की **धारा 69** के तहत एक आदेश जारी किया जाता है या न्यायिक आदेश दिया जाता है। **नियम 4 (2)।**

5. स्वचालित फिल्टरिंग

एक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ तकनीकी आधारित उपायों को लागू करने का प्रयास करेगा जैसे कि निम्नलिखित श्रेणियों में आने वाली ***जानकारी की निरंतर पहचान*** के लिए अन्य तंत्रों के लिए स्वचालित उपकरण जैसेः

- ❖ Depicts any act or stimulation in any form, depicting rape, child sexual abuse, of conduct, whether explicit or implicit.
- ❖ Information that is identical in content information that has been removed or accessed has been disabled. **Rule 4 (4).**

6. Grievance Mechanism for Significant Social Intermediaries (more than 50 lakh users)

- ❖ Every **significant social intermediary** shall set up a grievance mechanism whereby all complaints and grievances regarding their failure to comply with due diligence requirements and rules can be received. Each objection shall receive a ticket number, and intermediaries will have a chance to explain the action taken or not taken on the complaint received. An opportunity will have to be given to an individual *before any final action* is taken. **Rule 4 (6)/ (8).**

7. Suo Moto removal of access

- ❖ In cases where the **significant social media intermediary** removes or disables access to any information on their record, intimation of the same shall be communicated to the user with a notice explaining the grounds and reasons for such action. Users must be provided with adequate and *reasonable opportunity* to dispute the action taken by the intermediary. **Rule 4 (8).**

8. Safe Harbour Provisions

- ❖ Under **Section 79** of the Information Technology Act, intermediaries get protection from liability that could arise from any legal action initiated based on user-generated content. The new rules prescribe due diligence that intermediaries, including social media intermediaries, must follow. In case due diligence is not followed by the intermediaries, *they will lose the safe harbour protection.* **Rule 7.**

C. DIGITAL MEDIA ETHICS CODE

The Press note of **February 25, 2021**, states that there has been *widespread concern* about digital content on digital media and O.T.T. platforms. The Press Note states that various sections of society, including civil society, political leaders, including Chief ministers, trade organisations, and associations, have voiced their concerns, highlighting the imperative need for **complaint institutional mechanisms**. There have been many court proceedings in

- ❖ किसी भी रूप में किसी भी कार्य या उत्तेजना को दर्शाता है, बलात्कार, बाल यौन शोषण, आचरण का, चाहे वह स्पष्ट हो या निहित हो।
- ❖ ऐसी जानकारी जो सामग्री जानकारी के समान है जिसे हटा दिया गया है या एक्सेस किया गया है उसे अक्षम कर दिया गया है। **नियम 4 (4)**

6. महत्वपूर्ण सामाजिक मध्यस्थों के लिए शिकायत तंत्र (50 लाख से अधिक उपयोगकर्ता)

- ❖ प्रत्येक **महत्वपूर्ण सामाजिक मध्यस्थ** एक शिकायत तंत्र स्थापित करेगा, जिससे सभी आवश्यकताओं और नियमों के अनुपालन में उनकी विफलता के बारे में शिकायतें और शिकायतें प्राप्त हो सके। प्रत्यक आपत्ति को एक टिकट नंबर प्राप्त होगा और मध्यस्थों से प्राप्त शिकायत पर की गयी कार्रवाई या नहीं की गयी व्याख्या करने का मौका मिलेगा। *कोई अंतिम कार्रवाई करने से* पहले एक व्यक्ति को एक अवसर दिया जायेगा। **नियम 4 (6) (8)**

7. सूमोटो एक्सेस को हटाना

- ❖ ऐसे मामले में जहां **महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ** अपने रिकॉर्ड की किसी भी जानकारी तक पहुंच को हटा या निष्क्रिय कर देता है, उसी को सूचित करने के लिए उपयोगकर्ताओं को नोटिस दिया जायेगा जिसमें इस तरह की कार्रवाई के आधार और कारणों को समझाया जायेगा। मध्यस्थ द्वारा की गयी कार्रवाई को विवादित करने के लिए उपयोगकर्ताओं को पर्याप्त और **उचित अवसर** प्रदान किये जाने चाहिए। **नियम 4 (8)**

8. सुरक्षित हार्बर प्रावधान

- ❖ सूचना तकनीकी अधिनियम की **धारा 79** के तहत मध्यस्थों की देयता से सुरक्षा मिलती है जो उपयोगकर्ता द्वारा उत्पन्न सामग्री के आधार पर शुरू की गयी किसी भी कानूनी कार्रवाई से उत्पन्न हो सकती है। नये नियमों के कारण परिश्रम निर्धारित है जिसका पालन बिचौलिया सहित सभी मध्यस्थों को करना पड़ेगा। यदि मध्यस्थों द्वारा उचित परिश्रम का पालन नहीं किया जाता है तो वे सुरक्षित हार्बर संरक्षण खो देंगे। **नियम 7**

सी. डिजिटल मीडिया नैतिकता कोड

25 फरवरी 2021 के प्रेस नोट में कहा गया है कि डिजिटल मीडिया पर व्यापक चिंताजनक डिजिटल सामग्री और ओटीटी प्लेटफार्मों पर डिजिटल सामग्री को लेकर व्यापक चिंता है। प्रेस नोट में कहा गया है कि समाज के विभिन्न वर्गों जिनमें नागरिक समाज, राजनीतिक नेता, मुख्यमंत्री, व्यापार संगठन और संघ शामिल है, ने अपने चिंताओं को लेकर आवाज उठायी, **शिकायत संस्थागत तंत्र** की अनिवार्यता पर प्रकाश डाला है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में कई अदालती कार्यवाही हुई है जहां

the Supreme Court and High Court where courts have urged the Government to take suitable action.

The **February 25, 2021** Press note states that the new Rules establish a *soft-touch regulatory architecture, code of ethics and a three-tier grievance mechanism for news publishers in O.T.T. platforms and digital media.*

Key highlights of Digital Media Regulations are summarised below:

1. **News and Current Affairs** content has been defined as newly received noteworthy content, including analysis, especially about recent events primarily of social, political, economic, or cultural nature made available over the Internet or computer networks. **Rule 2 (m).**
   - ❖ **O.T.T. platforms** are described as **publishers of online curated content**. These publishers will have to self-classify age-based content in **five subgroups**:
     - i) **U- Universal.**
     - ii) **U/A-+7.**
     - iii) **U/A-=13.**
     - iv) **U/A=16.**
     - v) **A-Adult.**
   - ❖ **Publishers of online curated content** have to prominently display the classification rating speaks specifically to each range of the together with the content descriptor informing the user about the nature of the content and advising on the description of content as applicable at the beginning of every program enabling the user *to make an informed decision before watching the programme*.
   - ❖ **Publishers of news on digital media** will be required to observe the Press Council of India's journalistic conduct and the program code under the Cable Television Network Regulation Act, thereby providing a level playing field between the off-line print/T.V. and digital media.
   - ❖ **Publishers** will have to ensure that the prohibited content under any law is not published/transmitted. ***(Paragraph 1 of the Appendix)***.
2. **Grievance Redressal Mechanism**

   A publisher shall have to acknowledge a complaint within **24 hours** and resolve the complaint within **15 days**. If not addressed, it has to be escalated to **Level II** or **Level III. (Rule 10)**.

   A three-step grievance mechanism has been established under the Rules with different levels of self-regulation. These are:

अदालतों ने सरकार से उपयुक्त कार्रवाई करने का आग्रह किया है।

25 फरवरी 2021 के प्रेस नोट में कहा गया है कि नये नियम *ओटीटी प्लेटफार्मों और डिजिटल मीडिया में समाचार प्रसारकों के लिए एक नरम स्पर्श नियामक वास्तुकला, नैतिकता का कोड और त्रिस्तरीय शिकायत तंत्र स्थापित करते हैं।*

डिजिटल मीडिया विनियमों की मुख्य झलकियां नीचे संक्षेप में प्रस्तुत की गयी हैंः

1. **समाचार व करेंट अफपयर्स** सामग्री को नव प्राप्त उल्लेखनीय सामग्री के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें विश्लेषण, विशेष रूप से हालिया घटनाओं के बारे में मुख्य रूप से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या सांस्कृतिक प्रकृति जो इंटरनेट या कंप्यूटर नेटवर्क पर उपलब्ध करायी गयी है। **नियम 2 (एम)**
   - ❖ ओटीटी प्लेटफार्मो को ऑनलाइन क्यूरेट कंटेंट के प्रकाशक के रूप में वर्णित किया जाता है। इन प्रकाशकों को पांच उप समूहों में स्व–वर्गीकरण आधारित सामग्री देनी होगीः
     - 1) **यू–यूनिवर्सल**
     - 2) **यू/ए -+7**
     - 3) **यू/ए -=13**
     - 4) **यू/ए = 16**
     - 5) **ए–वयस्क**
   - ❖ **ऑनलाइट क्यूरेट किये गये कंटेंट के प्रकाशकों** को वर्गीकरण रेटिंग की प्रमुखता से प्रदर्शित करना पड़ता है, जिसमें विशेष रूप से कंटेंट डिस्क्रिप्टर के साथ–साथ प्रत्येक रेंज के बारे में बताया जाता है, जो यूजर को कंटेंट की प्रकृति के बारे में सूचित करता है और कंटेंट के विवरण पर सलाह देना, जैसा कि प्रत्येक कार्यक्रम की शुरूआत में लागू होता है, जिससे उपयोगकर्ता कार्यक्रम को देखते हुए सूचित निर्णय ले सके।
   - ❖ **डिजिटल मीडिया पर आने वाली खबरों के प्रकाशकों** को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पत्रकारिता के आचरण और केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियम अधिनियम के तहत कार्यक्रम कोड का पालन करना होगा, जिससे ऑफ लाइन प्रिंट/टीवी और डिजिटल मीडिया के बीच समान स्तर का अवसर प्रदान करना होता है।
   - ❖ **प्रकाशकों** को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी कानून के तहत निषिद्ध सामग्री प्रकाशित /ट्रांसमीटेड न हो। ***(परिशिष्ट का अनुच्छेद 1)***
2. **शिकायत निवारण तंत्र**

   एक प्रकाशक को **24 घंटे** के भीतर शिकायत को स्वीकार करना होगा और **15 दिनों** के भीतर शिकायत का समाधान करना होगा। यदि इसकी सुनवाई नहीं की गयी तो इसे **स्तर II** और **स्तर III** तक बढ़ाया जाना चाहिए। **(नियम 10)**

   स्व–विनिमयन के विभिन्न स्तरों के साथ नियमों के तहत **एक तीनस्तरीय शिकायत तंत्र** स्थापित किया गया है। ये हैंः

- **Self-Regulation by Publishers-Level I-** They will follow the Code of Ethics provided in the Index. For this, they will have to appoint a **Grievance Officer** stationed in India. All grievances are to be settled within 15 days. **Rule 10.**
- **Self-Regulation Bodies of Publishers-Level II-** These bodies will be headed by a retired Supreme Court Judge or a High Court Judge, or an eminent person who belongs to media, broadcasting, entertainment, child rights, human rights for any such relevant field. The bodies will have six members and will be registered with the Ministry. There can be more than one such regulatory body.
- This body will ensure that Publishers adhere to the code of ethics, provide guidance on the same to them to address grievances that remain unresolved, and hear appeals, which the complainants file against the publishers' decision. They also have the power to issue guidance and advisories to the Publisher's *warning, censuring, admonishing, reprimanding them or requiring an apology warning card or a disclaimer from the Publisher.* They also have the power to direct the Publisher of online curated content to reclassify the ratings of content, make modifications in age classification and access control measures, and refer the content to the Ministry for consideration. **Rule 11**.
- **Oversight Mechanism by Government- Level III-** The Ministry of Information and Broadcasting shall designate a senior officer not below the Joint Secretary's rank as the **Authorised Officer**. He shall have the power to initiate the procedure for deletion, blocking a modification of information by the Publisher and blocking information in case of an emergency.
- An **Interdepartmental Committee** shall be constituted by the Ministry, representing various ministries and domain experts. The Committee will be headed by the **Authorised Officer** and will hear and examine complaints or grievances and recommend them to the Ministry. The set of recommendations include *warning, censuring, admonishing, or reprimanding entities, requiring an apology, or requiring them to issue a warning or a disclaimer.* If the Committee is convinced that there is a need for blocking content in **Section 69** of the I.T. Act, it can send recommendations to the Ministry. **Rule 12.**

- **प्रकाशक द्वारा स्व–विनिमय–स्तर I–** वे सूचकांक में प्रदान की गयी आचार संहिता का पालन करेंगे। इसके लिए उन्हें भारत में तैनात एक **शिकायत अधिकारी** नियुक्त करना होगा। 15 दिनों के भीतर सभी शिकायतों का निपटारा किया जाना चाहिए। **नियम 10**
- **प्रकाशकों की स्व–नियामक संस्था–स्तर II–** ये निकाय सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, या मीडिया, प्रसारण, मनोरंजन, बाल अधिकार, किसी भी क्षेत्र के लिए मानवाधिकार से संबंधित व्यक्ति होगा। निकायों में छह सदस्य होंगे और यह मंत्रालय के पास पंजीकृत होगा। ऐसा एक से अधिक नियामक निकाय हो सकता है।
- यह निकाय यह सुनिश्चित करेगा कि प्रकाशक नैतिकता संहिता का पालन करें, जो शिकायते अनसुलझी हैं उन्हें दूर करने के लिए उसी पर मार्ग दर्शन प्रदान करे और अपील सुने, जो शिकायतकर्ता प्रकाशकों के फैसले के खिलाफ दायर करते हैं। उनके पास प्रकाशक की चेतावनी के लिए मार्ग दर्शन और सलाह जारी करने, *उन्हें निलंबित करने, उनकी निंदा करने, फटकार लगाने या माफी चेतावनी कार्ड की आवश्यकता या प्रकाशक से अस्वीकरण की शक्ति भी है।* उनके पास सामग्री रेटिंग को पुनः वर्गीकृत करने, आयु वर्गीकरण और अभिगमन नियंत्रण उपायों में संशोधन करने और विचार के लिए मंत्रालय को सामग्री संदर्भित करने के लिए ऑनलाइन क्यूरेट सामग्री के प्रकाशक को निर्देशित करने की शक्ति भी है। **नियम 11**
- **सरकार द्वारा निरीक्षण तंत्र–स्तर III–** सूचना व प्रसारण मंत्रालय एक वरिष्ठ अधिकारी को **प्राधिकृत अधिकारी** के रूप में संयुक्त सचिव पद से नीचे के अधिकारी का नामित नहीं करेगा। इनके पास प्रकाशक द्वारा सूचना के संशोधन को रोकने, उसे हटाने के लिए प्रक्रिया को शुरू करने की शक्ति होगी और वह आपात स्थिति में सूचना को अवरूद्ध भी कर सकता है।
- मंत्रालय द्वारा विभिन्न मंत्रालयों और डोमेन विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व करते हुए एक **अंतर विभागीय समिति** का गठन किया जायेगा। समिति **प्राधिकृत अधिकारी** की अध्यक्षता में होगी और शिकायतों या परेशानी की सुनवाई करेगी और उन्हें मंत्रालय को सुझायेगी। सिफारिशों में चेतावनी, सेंसर करना, विशेषण या संस्थाओं को फटकार लगाना, माफी की आवश्यकता होती है या उन्हें चेतावनी या अस्वीकरण जारी करने की आवश्यकता होती है। यदि समिति आश्वस्त है कि आईटी अधिनियम की **धारा 69** में सामग्री को अवरूद्ध करने की आवश्यकता है तो वह मंत्रालय को सिफारिश भेज सकती है। **नियम 12**

- The Oversight Mechanism will set up an **Interdepartmental Committee** for hearing grievances and shall issue guidance, advisories, and directions to the publishers. The **Interdepartmental Committee** will listen to complaints about Grievances received from **Level I** or **Level II** and referred to them by M.I.B. **Rule 13**.
- Where the **Authorised Officer**, on the recommendation of the Committee, is satisfied that any content is in accordance with the criteria referred to in clause **(clause e) of sub-rule (4) of Rule 13**, he shall issue a notice as per **Rule 13 (2)**. The Committee shall consider the relevant content in the reply of clarification made by any entity under subrule and shall examine whether the content is covered within the scope of **Section 69 A (1)** of the Act, and it is justifiable to block such information, or part thereof it shall give a specific recommendation in writing concerning such content to the Authorised Officer.

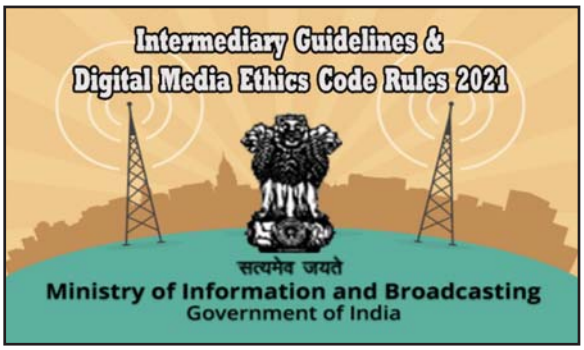

- The **Authorised Officer** shall submit the Committee's recommendation regarding the blocking of relevant content along with the information available with the Committee to the Secretary in the Ministry of information and Broadcasting, Government of India. **Rule 14 (4).**
- Upon approval of the Secretary M.I.B., the **Authorised Officer** shall direct any government agency or an intermediary to block the relevant content and information generated, transmitted, receive, store. posted on their computer resource public access within the time limit specified in the direction **Rule 14 (5)**.
- The direction under the Rule may be issued only regarding *a specific piece of content or an enumerated list of content*, as the case may be and shall not require any applicable entity to cease its operation **Rule 14 (6).**

3. Review of directions issued.

The Authorised Officer shall maintain complete records of the Committee's proceedings, including complaints

- निरीक्षण तंत्र शिकायतों की सुनवाई के लिए एक अंतर्विभागीय समिति का गठन करेगा और प्रकाशकों को मार्गदर्शन, सलाह और निर्देश जारी करेगा। **अंतरविभागीय समिति** स्तर I या स्तर II से प्राप्त शिकायतों के बारे में शिकायतों को सुनेगी और उन्हें एमआईबी नियम 13 द्वारा संदर्भित किया जायेगा।
- जहां **प्राधिकृत अधिकारी** समिति की सिफारिश पर संतुष्ट है कि कोई सामग्री **नियम 13 के उप नियम (4) के खंड (खंड ई)** में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार है, वह **नियम 13** के अनुसार नोटिस जारी करेगा। समिति किसी भी इकाई के अधीन किये गये स्पष्टीकरण के उत्तर में संबंधित सामग्री पर विचार करेगी और यह जांच करेगी कि क्या सामग्री अधिनियम की **धारा 69 ए (1)** के दायरे में आती है, और ऐसी जानकारी को रोकपाना क्या न्यायसंगत है या इसके भाग को प्राधिकृत अधिकारी को ऐसी सामग्री के संबंध में लिखित रूप से एक विशेष सिफारिश दी जायेगी।
- **प्राधिकृत अधिकारी**, भारत सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय के समिति के साथ सचिव को उपलब्ध सूचना के साथ संबंधित सामग्री को अवरूद्ध करने के संबंध में समिति को सिफारिश प्रस्तुत करेंगे। **नियम 14 (4)**
- एमआईबी सचिव के अनुमोदन पर **प्राधिकृत अधिकारी** किसी भी सरकारी एजेंसी या एक मध्यस्थ को संबंधित सामग्री और सूचना को प्रेषित, प्रसारित, प्राप्त, संग्रहित करने के लिए निर्देशित करेगा। **नियम 14 (5)** में निर्दिष्ट समयसीमा के भीतर अपने कंप्यूटर संसाधन सार्वजनिक पहुंच पर पोस्ट किया गया।
- नियम के तहत निर्देश केवल सामग्री के *एक विशिष्ट टुकड़े या सामग्री की गणना सूची के संबंध में जारी किया जा सकता है*, मामला जैसा भी हो और इसके संचालन नियम 14 (6) को समाप्त करने के लिए किसी भी लागू इकाई की आवश्यकता नहीं होगी।

3. जारी किये गये निर्देशों की समीक्षा

प्राधिकृत अधिकारी समिति की कार्यवाही का पूरा रिकॉर्ड रखेगा,

referred to the Committee or any content which has been considered by the Committee on as your motor basis and maintain records of recommendations made by the Committee in any directions issued by the authorised officer. The **review committee** shall meet once every **two months** on record its findings whether the directions issued under these rules are in accordance with the provisions of **section 69 A** of the I.T. act.

If it is of the opinion that the directions are not in accordance with the provisions referred to above, it may set aside the directions and issue an order for unblocking of said content or information generated, transmitted, received, stored, or posted on a computer resource. For this Rule, the **Review Committee** shall mean the **Review Committee** constituted under Rule 419 A of Indian Telegraph Rules, 1951. **(Rule 15)**.

4. **Extraordinary Power of Secretary of Ministry of Information and Broadcasting:**

   In cases where no delays are acceptable and the Secretary satisfied he can issue directions for blocking content by persons; publishers and intermediaries for posting such information *without giving them an opportunity for a hearing*.

5. All Publishers of news and current affairs content and publishers of online curated content operating in India must inform the Ministry in respect of the details of its entity and furnish information on specified documents facilitating communication and coordination within 60 days. **Rule 18 (1 and 2).**

6. **Compliance Report by the Publishers** of news and current affairs content and the Publisher of online curated content must include publisher compliance reportedly much. The compliance report shall contain the details regarding grievances received by the Publisher and the action taken on those grievances. **Rule 18 (3).**

AFTERMATH OF THE REGULATIONS

Within a few days of the new Regulations being e-gazetted on **February 25, 2021**, the Supreme Court heard an appeal filed by the Amazon content head against the rejection by the Allahabad High Court for Anticipatory Bail in the series of F.I.R.s relating to alleged violations of **Sections 66/66F/67** of Information Technology Act 2008 and various sections of I.P.C in the TV Serial Tandav. The Allahabad High Court had stated, '*Offences are made out. The applicant does not deserve pre- Arrest Bail.*'

On **March 4, 2021**, when the **S.L.P. Criminal no**

जिसमें समिति को संदर्भित शिकायतें या ऐसी कोई भी सामग्री जिसे समिति द्वारा आपके मोटर के आधार पर माना गया है और प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किये गये निर्देशों में समिति द्वारा की गयी सिफारिशों के रिकॉर्ड को बनाये रखेगा। समीक्षा समिति हर दो महीने में एक बार अपने निष्कर्षों को दर्ज करेगी कि क्या इन नियमों के तहत जारी निर्देश आईटी अधिनियम की धारा 69 ए के प्रावधानों के अनुसार है।

यदि यह राय है कि निर्देश ऊपर उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार नहीं हैं तो यह उक्त सामग्री या जानकारी उत्पन्न करने, प्रेषित, प्राप्त, संग्रहित या कंप्यूटर संसाधन पर पोस्ट करने के लिए दिशा-निर्देश और आदेश को अलग कर सकता है। फोर्थिस नियम, **समीक्षा समिति** का मतलब भारतीय टेलीग्राफ नियम 1951 के नियम 419 ए के तहत गठित **समीक्षा समिति** से होगा। **(नियम 15)**

4. **सूचना व प्रसारण मंत्रालय के सचिव को असाधारण शक्तिः**

   ऐसे मामलों में जहां कोई देरी स्वीकार्य नहीं है और सचिव संतुष्ट व्यक्तियों द्वारा सामग्री को अवरूद्ध करने के लिए निर्देश जारी कर सकते हैं, प्रकाशकों व मध्यस्थों को इस तरह की जानकारी पोस्ट करने के लिए *बिना सुनवाई के अवसर दिये*।

5. समाचारों व करेंट अफेयर्स कंटेंट के सभी प्रकाशकों और भारत में संचालित ऑन लाइन क्यूरेटेड कंटेंट के प्रकाशकों को 60 दिनों के भीतर संचार व समन्वय की सुविधा प्रदान करने वाले निर्दिष्ट दस्तावेजों के बारे में मंत्रालय को सूचित करना चाहिए। **नियम 18 (1 व 2)**

6. समाचार व करेंट अफेयर्स सामग्री के **प्रकाशकों द्वारा अनुपालन रिपोर्ट** और ऑनलाइन क्यूरेट सामग्री के प्रकाशक में प्रकाशक अनुपालन को कथित रूप में शामिल करना चाहिए। अनुपालन रिपोर्ट में प्रकाशकों द्वारा प्राप्त शिकायतों और उन शिकायतों पर की गयी कार्रवाई के बारे में विवरण होगा। **नियम 18 (3)**

नियमों के दुष्परिणाम

25 फरवरी 2021 को नये नियमों के ई-राजपत्रित होने के कुछ दिनों के भीतर ही सुप्रीम कोर्ट ने टीवी धारावाहिक तांडव में आई पीसी की विभिन्न धारायें और सूचना तकनीकी एक्ट 2008 की **धारा 66/66एफ/67** के कथित उल्लंघन से संबंधित एफआईआर की श्रृंखला अग्रिम जमानत के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकार किये जाने के खिलाफ अमेजन के कंटेंट प्रमुख द्वारा दायर अपील की सुनवाई की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा था, '*अपराध किये जाते हैं। आवेदक पूर्व गिरफ्तार जमानत के लायक नहीं है।*'

1983/2021 filed by **Aparna Purohit** was being argued in S.C., the Supreme Court observed that *"some O.T.T. content screening should occur"*. It further went on to state, *'some Platforms even show pornography'*. It directed the Solicitor General to circulate the new Information Technology Rules 2021 the next day.

On **March 5, 2021**, the new Regulations were circulated in the Court upon which the Supreme Court observed that the *"Government's new rules to regulate O.T.T. platforms lack teeth as there is no provision for prosecution or fine.' The Court observed that without legislation, that could not be an effective control."*

While submitting that the new rules were brought as *"a balance between no censorship and internal self-regulation"*, the Solicitor General agreed to produce a better draft of the Regulations for the Court's consideration.

While granting interim protection to the Amazon content Head, the Supreme Court stated perusal of the Rules indicate that *"they are more in the form of guidelines and have no effective mechanism for either screening not taking appropriate action for those who violate the guidelines. The Solicitor General submitted that the Government would consider and take appropriate steps for Regulation or legislation as may be found fit by the Government, and the same shall be placed before the Court."* Notice has been issued to the State of U.P., and the hearing will take place in the coming weeks.

On **March 9, 2021**, the Delhi High Court issued a notice on a writ petition filed by digital news media publishers in **WPC 3125/2021 by Foundation for Independent Journalism,**, including *The Wire* challenging the New Regulations to regulate digital news media. The main argument is that **Section 66A** of the Information Technology Act had been struck down and cannot be again brought back in the form of Rules. Further, the Rules have been issued in the exercise of powers under **Section 69 A**, which cannot be applied to news media. Counsel for the Petitioner agreed that it is not that the news media cannot be regulated, but this has to be through a statute passed by the legislature.

On **March 10, 2021**, the Kerala High Court issued a notice in a writ petition no **C.W.P. No 6272/2021** filed by a legal website *Live Law* challenging the new Regulations' constitutional validity as imposing 'victory, making disproportionately unreasonable restrictions on digital news media social media intermediaries. The Kerala High Court restrained the Central Government from *taking any coercive*

4 मार्च 2021 को जब **अपर्णा पुरोहित** द्वारा दायर **एसएलपी क्रिमिनल नं 1983/2021** की सुनवाई एससी में की जा रही थी तो सुप्रीम ने कहा कि *कुछ ओटीटी कंटेंट स्क्रीनिंग होनी चाहिए*। इसमें आगे कहा गया है कि *'कुछ प्लेटफार्म अश्लील चित्र भी दिखाते हैं।'* अदालत ने सॉलिसिटर जनरल को अगले दिन नये सूचना तकनीकी नियम **2021** को सर्कुलेट करने का आदेश दिया।

5 मार्च 2021 को नये नियमों को अदालत के सामने रखा गया, जिस पर अदालत ने पाया कि *'ओटीटी प्लेटफार्मों को विनियमित करने के लिए सरकार के नये नियम में कुछ कमी है क्योंकि अभियोजन या जुर्माना का कोई प्रावधान नहीं है।'अदालत ने महसूस किया कि कानून के बिना इस पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो सकता है।*

यह कहते हुए कि नये नियमों को *बिना सेंसरशीप और आंतरिक स्व विनियमन के बीच संतुलन के रूप में लाया गया था*, सॉलिसिटर जनरल ने अदालत के विचार के लिए विनियमों का एक बेहतर मसौदा तैयार करने पर सहमति व्यक्त की।

अमेजन कंटेंट हेड को अंतरिम सुरक्षा प्रदान करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नियमों का उल्लंघन यह दर्शाता है कि वे दिशा निर्देशों के रूप में अधिक है और दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के लिए उचित कार्रवाई नहीं करने के लिए कोई प्रभावी तंत्र नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि सरकार नियमन या कानून के लिए उचित कदम उठायेगी, जो भी सरकार द्वारा उचित पाया जाता है और इसे न्यायालय के समक्ष रखा जायेगा। यूपी राज्य को नोटिस जारी किया गया है और आने वाले हफ्तों में सुनवाई होगी।

9 मार्च **2021** को दिल्ली उच्च न्यायालय ने **WPC 3125/ 2021** में डिजिटल समाचार मीडिया प्रकाशकों द्वारा दायर रिट याचिका पर एक नोटिस जारी किया, जिसमे द वायर ने डिजिटल समाचार मीडिया को विनियमित करने के लिए नये विनियमों को चुनौती दी। मुख्य तर्क यह है कि सूचना तकनीकी अधिनियम की **धारा 66ए** को हटा दिया गया था और इसे फिर से नियमों के रूप में वापस नहीं लाया जा सकता है। इसके अलावा, **धारा 69 ए** के तहत शक्तियों के अभ्यास में नियम जारी किये गये हैं जिन्हें समाचार मीडिया पर लागू नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता के वकील ने सहमति व्यक्त की कि ऐसा नहीं है कि समाचार मीडिया को विनियमित नहीं किया जा सकता है लेकिन यह विधायिका द्वारा पारित एक कानून के माध्यम से होना चाहिए।

10 मार्च 2021 को केरल उच्च न्यायालय ने एक रिट याचिका संख्या **C.W.P. No 6272/2021** में एक नोटिस जारी किया जिसे कि कानूनी वेबसाइट *लाइव लॉ* द्वारा दायर किया गया है जो कि नये विनियमों की संवैधानिक वैधता, डिजिटल समाचार मीडिया सोशल मीडिया मध्यस्थों पर असम्मानजनक रूप से अनुचित प्रतिबंध लगाने को चुनौती देता है। केरल उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को *आईटी विनियम के भाग **3** के तहत कोई भी कठोर कार्रवाई करने से रोक दिया*

action under Part 3 of the I.T. Regulations, as the Petitioners are publishers of law reports and legal literature.".

At a meeting of the Parliamentary Standing Committee of Information Technology on **March 15, 2021**, members enquired whether the Rules conformed with the legal framework. They also wanted to know why the regulatory mechanism consists only of bureaucrats and not representatives of civil society, judiciary, and professionals. They enquired whether stakeholders have been consulted before bringing these rules.

In reply to a **Starred Question No 301** on **March 17, 2021,** Minister for Electronics and Information Technology stated that to provide enhanced user safety and accountability of social media platform, the Government had issued the Information Technology Guidelines 2021 under the I.T. Act, which specifies the due diligence to be followed by all the intermediaries including the social media intermediaries. The social media platforms are enjoined to develop a robust grievous grievance redressal system.

In answer to the same Starred Question, the Minster stated unequivocally, *"Presently, there is no proposal with the Ministry of Electronics and information technology to appoint a social media regulator."*

Under Section 69 of the Information Technology Act, Government blocks unlawful and malicious online content, including social media accounts in the interest of sovereignty and integrity of India, defence of India, security of the state, friendly relations with foreign states or public order of the providing incitement to the commission of any cognisable offence. Under this provision, 9849 URL/ account/webpages were blocked mostly on social media platforms during 2020.

The Minister's reply goes on to state that while the Government values freedom of speech and expression, which is a fundamental right under **Article 19 (1)** of the Constitution and welcomes criticism, dissent and also rights of people to ask questions on social media, it needs to be acknowledged that the fundamental right of speech and expression under **Article 19 (1)** is subject to reasonable restrictions under **Article 19 (2)** of the Constitution, which can be imposed in the interest of security, safety and sovereignty of India, public order, friendly relations foreign countries.

'It is equally essential that social media be not abused or misused to the frame, promote terrorism, rampant violence, and compromise women's dignity. For these challenges, the intermediaries are expected to remove/ क्योंकि कानून की रिपोर्टों और कानून की साहित्य का प्रकाशक याचिकाकर्ता है।'

15 मार्च 2021 को सूचना तकनीकी की संसदीय स्थायी समिति की बैठक में सदस्यों ने पूछताछ की कि क्या नियम कानूनी ढ़ांचे के अनुरूप है। वे यह भी जानना चाहते थे कि नियामकतंत्र में नौकरशाह ही क्यों होते हैं और नागरिक समाज, न्यायपालिका और पेशेवरों के प्रतिनिधि नहीं होते हैं। उन्होंने पूछताछ की कि क्या इन नियमों को लाने से पहले हितधारकों की सलाह ली गयी।

17 मार्च 2021 को तारांकित प्रश्न संख्या 301 के जवाब में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीकी मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म की बढ़ाती हुई उपयोगकर्ता सुरक्षा और जवाबदेही प्रदान करने के लिए सरकार ने सूचना अधिनियम **2021** को आईटी नियम के तहत जारी किया था, जो निर्दिष्ट करता है कि सोशल मीडिया मध्यस्थों सहित सभी मध्यस्थों द्वारा किये जाने वाले नियत परिश्रम को निर्दिष्ट करता है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली विकसित करने का आनंद उठा रहे हैं।

इसी तारांकित प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि '*वर्तमान में एक सामाजिक मीडिया नियामक नियुक्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय और सूचना तकनीकी के साथ कोई प्रस्ताव नहीं है।*

*सूचना तकनीकी अधिनियम की धारा **69** के तहत सरकार गैरकानूनी और दुर्भावनापूर्ण ऑनलाइन सामग्री को रोकती है जिसमें भारत की संप्रभुत्ता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यो के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या किसी भी संज्ञेय अपराध के कमीशन के लिए उकसाने के सार्वजनिक आदेश के हित में सोशल मीडिया अकाउंट शामिल हैं। इस प्रावधान के तहत **4849** यूआरएल/अकाउंट/वेबपेजेस को अधिकतर सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर **2020** के दौरान ब्लॉक कर दिया गया था।*

मंत्री का जवाब यह बताता है कि जबकि सरकार भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व देती है जो संविधान के **अनुच्छेद 19 (1)** के तहत एक मौलिक अधिकार है और सोशल मीडिया पर सवाल पूछने के लिए आलोचना, असंतोष और लोगों के अधिकारों का स्वागत करती है, यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि **अनुच्छेद 19 (1)** के तहत भाषण और अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार संविधान के **अनुच्छेद 19 (2)** के तहत उचित प्रतिबंधों के अधीन है जिसे भारत की सुरक्षा, सलामती और संप्रभुत्ता, सार्वजनिक व्यवस्था, मैत्रीपूर्ण संबंधों, विदेशी देशों के हित में लगाया जा सकता है।

यह भी उतना ही आवश्यक है कि सोशल मीडिया का दुरूपयोग या फ्रेम का दुरूपयोग, आतंकवाद को बढ़ावा, हिंसा को बढ़ावा और महिलाओं की गरिमा से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाना चाहिए। इन चुनौतियों के लिए मध्यस्थों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे जब भी न्यायालय के आदेश के माध्यम से या उपयुक्त सरकार या उसकी

*disable content as and when brought to the knowledge of the intermediaries, either through of court order or through notice by appropriate Government or its agency or when directed under **Section 69 A** of the Information Technology Act, following due process of law.'*

On **March 19, 2021**, the Delhi High Court issued a notice on a petition no **W.P.C./3659/2021** filed by The Quint, an online news portal, challenging the constitutional validity of the new guidelines to the extent it regulates the publishers of news and current content affairs, and as the parent statute of the principal Information Technology Act does not deal with **digital media** hence executive rules under the said Act to regulate **online news publishers** are invalid. The petition claims that the I.T. Rules 2021 *"create a parallel and extra-legal adjudicatory mechanism, which has at its apex, the Central Government. This also violates the principle of separation of powers."*

It further claims the Regulations are o*ffensive to fundamental rights* under **Article 19(1)** and **Article 14** of the Constitution as restriction on fundamental right to free speech and expression, can only be to the extent strictly necessary for **Article 19 (2)**.

It claimed the primary purpose was to stop the digital news portals. The content published by the Petitioner is already subject to civil and criminal laws enacted for these interests. Therefore, the I.T. Regulations 2021 cannot be in the interest of **Article 19 (2)** and are only meant to be a ruse for the state to control digital news portals' content indirectly.

During the Supreme Court hearing on **March 23, 2021**, the Supreme Court in **Special Leave to Appeal (C) No.10937/2019** filed by **Justice for Rights Foundation** stayed all proceedings in various high courts asking for regulation O.T.T./social media platforms. It will hear the Central government petition to transfer all such pending cases post-Holi as service is not complete.

The S.L.P. was filed by **Justice for Rights Foundation** against dismissal by the Delhi High Court of a Public Interest Litigation petition in **WPC 11164/2018**, *which demanded that online web platforms need to be regulated by a statutory body in the interests of public morality and decency*.

The High Court considered the Government's reply and dismissed the P.I.L., observing that *'the Court cannot issue a mandamus for framing guidelines when stringent regulations are in place in the Information Technology Act. He(petitioner) can make a complaint which the Court hoped would be examined by the Government'*.

*एजेंसी द्वारा नोटिस के माध्यम से या सूचना तकनीकी की धारा **69** के तहत निर्देशित करते हैं तो कानून की उचित प्रक्रिया के बाद मध्यस्थों की जानकारी को हटा/अक्षम कर सकते हैं।*

19 मार्च 2021 को दिल्ली उच्च न्यायलय ने ऑन लाइन पोर्टल द क्विंट द्वारा दायर एक याचिका संख्या **W.P.C./3659/2021** पर एक नोटिस जारी किया जिसमें नये दिशा निर्देशों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गयी कि यह समाचार के प्रकाशकों को नियंत्रित करता है। यह समाचार व करेंट अफेयर्स मामलों के प्रकाशकों को नियंत्रित करता है और मूल सूचना तकनीकी अधिनियम के मूल कानून के रूप में **डिजिटल मीडिया** के साथ सौदा नहीं करता है इसलिए **ऑनलाइन समाचार प्रसारकों** को विनियमित करने के लिए उक्त अधिनियम के तहत कार्यकारी नियम अमान्य है। याचिका में दावा किया गया है कि आईटी नियम **2021** *एक समानांतर और अतिरिक्त कानूनी सहायक तंत्र बनाता है जिसके सर्वोच्च पर केंद्र सरकार है। यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का भी उल्लंघन करता है।*

यह आगे दावा करता है कि विनियम संविधान के **अनुच्छेद 19 (1)** और **अनुच्छेद 14** के तहत मौलिक अधिकारों के लिए आक्रामक है क्योंकि भाषण व अभिव्यक्ति को मौलिक रूप से मुक्त करने पर प्रतिबंध केवल **अनुच्छेद 19 (2)** के लिए कड़ाई से आवश्यक हो सकता है।

इसने दावा किया कि प्राथमिक उद्देश्य डिजिटल समाचार पोर्टलों को रोकना था। याचिकाकर्ता द्वारा प्रकाशित सामग्री पहले से ही इन हितों के लिए अधिनियमित नागरिक और आपराधिक कानूनों के अधीन है। इसलिए आईटी विनियम **2021** **अनुच्छेद 19 (2)** के हित में नहीं हो सकता है और केवल राज्य के लिए अप्रत्यक्ष रूप से डिजिटल समाचार पोर्टल्स सामग्री को नियंत्रित करने के लिए दुरूपयोग होने का मतलब है।

23 मार्च 2021 को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान **जस्टिस फॉर राइट्स फाउंडेशन** द्वारा दायर **स्पेशल लीव टू अपील (C) No.10937/2019** में सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में ओटीटी/सोशल मीडिया प्लेटफार्मो के लिए रेगुलेशन के लिए सभी प्रक्रियाओं पर रोक लगा दिया। यह केंद्र सरकार की उस याचिका पर होली के बाद सुनवाई करेगा जिसमें सभी लंबित मामलों को स्थानांतरित करने की बात है क्योंकि सेवा पूरी नहीं हुई है।

WPC 11164/2018 में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पिटीशन के दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने के खिलाफ **जस्टिस फॉर राइट्स फाउंडेशन** द्वारा एसएलपी दायर किया गया है जिसमें मांग की गयी थी कि सार्वजनिक नैतिकता और शालीनता के हितों में एक वैधानिक निकाय द्वारा ऑन लाइन वेब प्लेटफार्मो को विनियमित करने की आवश्यकता है।

उच्च न्यायालय ने सरकार के जवाब पर विचार किया और पीआईएल को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि *न्यायालय सूचना तकनीकी अधिनियम के कड़े नियमों के पालन के लिए दिशा-निर्देश तैयार नहीं कर सकता है। वह (याचिकाकर्ता) एक शिकायत कर सकता है जो न्यायालय को उम्मीद थी कि सरकार द्वारा जांच की जायेगी।*

During the Supreme Court proceedings, the Central Government filed its counter affidavit drawing attention to the New Regulations' issued on **February 25, 2021**. In its counter-affidavit, the Government stated that that the Centre had amended the Allocation of Business Rules of the Ministry of Information and Broadcasting by a gazette notification of **November 9, 2020**, and brought the following entities within the purview of the Ministry:

- **Digital/online media.**
- **Films and audio-visual programs made available by online content providers.**
- **News and current affairs content on online platforms.**

Upon notification of the Information Technology Rules 2021, the Affidavit says that the aim is to regulate content on T.V. platforms and impose a code of ethics for online news media publishers. The Affidavit further clarifies that there are provisions within the Information Technology Act dealing with obscene content. These proceedings are 'like criminal proceedings' and are based on complaints by the police authorities.

But **Justice for Rights Foundation** still submitted in its rejoinder affidavit that the effective control of O.T.T. content platforms could not be done without legislation. *Regulation of these platforms by a statutory body is necessary for the interest of public morality and decency.*

The Supreme Court will also simultaneously hear a petition filed by an Advocate -**Shashank Shekhar Jha vs U.O.I. in CWP 1080/2020** (clubbed with **Justice for Rights Foundation in Special Leave to Appeal (C) No.10937/2019)**, praying for directions to the Government to establish a Central Board for Regulation Monitoring of Online Video Content to monitor, filter and regulate content on O.T.T. platforms.

In its counter-affidavit filed in response to this petition, the Government has vigorously defended its new Regulation stating *it is humbly submitted in various jurisdictions across the globe like Singapore, European Union, Australia, etc., have also framed similar mechanisms regulating/ restricting access on the O.T.T. platforms"*.

The Government said there is a mechanism for Regulation of the O.T.T. platforms under the provisions of the Information Technology Act, 2000, and the new framed Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 notified by the Government under Section 87 (2) of the I.T. Act, 2000 for Regulation of online curated content.

सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के दौरान केंद्र सरकार ने **25** फरव**री 2021** को जारी किये गये नये विनियमों पर अपना जवाबी हलफनामा दाखिल किया। अपने जवाबी हलफनामें में सरकार ने कहा कि केंद्र ने **9 नवंबर 2020** के गजट नोटिफिकेशन द्वारा सूचना व प्रसारण मंत्रालय के व्यवसायिक नियमों के आवंटन में संशोधन किया था और निम्नलिखित संस्थाओं को मंत्रालय के दायरे में लाया थाः

- **डिजिटल/आन लाइन मीडिया**
- **फिल्में और ऑडियो विजुअल कार्यक्रम ऑनलाइन सामग्री प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराये गये।**
- **ऑन लाइन प्लेटफार्मो पर न्यूज व करेंट अफेयर्स कार्यक्रम**

सूचना तकनीकी नियम **2021** की अधिसूचना पर शपथपत्र में कहा गया कि इसका उद्देश्य टीवी प्लेटफार्मो पर सामग्री को विनियमित करना और ऑनलाइन समाचार मीडिया प्रकाशकों के लिए आचार संहिता को लागू करना है। शपथ पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि सूचना तकनीकी अधिनियम के तहत अश्लील सामग्री से निपटने के प्रावधान हैं। ये कार्य वाही आपराधिक कार्यवाही की तरह है और पुलिस अधिकारियों द्वारा की गयी शिकायतों पर आधारित है।

लेकिन **जस्टिस फॉर राइट्स फाउंडेशन** ने फिर भी अपना प्रत्युत्तर हलफनामा प्रस्तुत करते हुए कहा कि ओटीटी सामग्री प्लेटफार्मो के प्रभावी नियंत्रण कानून के बिना नहीं की जा सकती है। *सार्वजनिक नैतिकता और शालीनता के हित के लिए एक संविधिक निकाय द्वारा इन प्लेटफॉर्मो का विनियम आवश्यक है।*

सर्वोच्च न्यायालय साथ ही **CWP 1080/2020** में **(अपील (सी) नं 10937/2019 के साथ स्पेशल लीव में जस्टिस फॉर राइट्स फाउंडेशन** के साथ क्लब) **यूओआई बनाम एक वकील शशांक शंकर झा** द्वारा दायर याचिका भी सुनवाई करेगा जिसमें ओटीटी प्लेटफार्म की निगरानी, फिल्टर करने और विनियमित करने के लिए ऑनलाइन वीडियो सामग्री की विनियमन निगरानी के लिए एक केंद्रीय बोर्ड की स्थापना के लिए सरकार को निर्देश देने की प्रार्थना करना।

इस याचिका के जवाब में दायर किये गये अपने जवाबी हलफनामे में सरकार ने सख्ती से अपने विनियमन का बचाव करते हुए बताया है कि *इसे विनम्रतापूर्वक सिंगापुर, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया आदि जैसे दुनिया के विभिन्न न्यायालयों में प्रस्तुत किया गया है और उन्होंने भी ओटीटी पहुंच को विनियमित / प्रतिबंधित करने वाले समान तंत्र को तैयार किया है।*

सरकार ने कहा कि सूचना तकनीकी अधिनियम, **2000** के प्रावधानों के तहत ओटीटी प्लेटफार्मो के विनियमन के लिए एक तंत्र है और ऑनलाइन क्यूरेट की गयी सामग्री के विनियम के लिए आईटी अधिनियम की धारा **87 (2)** के तहत सरकार द्वारा अधिसूचित नयी फ्रेमेड इंफॉरमेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम, **2021** तैयारी की गयी है।

"In respect of the Internet, the I.T. Act has provisions for prohibition of publishing or transmitting content that is obscene, containing sexually explicit act or containing sexually explicit act involving a minor under Sections 67, 67A and 67B."

The Affidavit added that there are also provisions for criminal proceedings with punitive measures depending on the nature of complaints filed with police authorities under **Section 69 A**.

"The Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) rules 2021 are comprehensive in nature and framed keeping in view the major audience enjoyed by the O.T.T. platforms and maintaining a fine balance so that various age groups are taken into account, and a healthy classification is being done", said the Affidavit.

On March 31, 2021, the Karnataka High Court postponed by two weeks a petition filed by Truth Pro Foundation on behalf of the Kannada new portal "Pratidhvani' claiming that the new rules are ultra vires the Information Technology Act 2000 as they set up a classification of publishers of news and current affairs and seek to regulate the news portals under Part III of the Rules.

CONCLUSION

With two Supreme Court benches to hear arguments on the new Regulations in the coming weeks, quite clearly, the Regulations will either get converted into a new law or will have to be given more legislative teeth.

The large social media giants like Facebook/Google/Apple/Netflix, and Amazon are tactically quiet. The digital news media recognise that the uneven level playing field and lack of direct regulation days are over.

One common discomfort that needs to be addressed soon is that the current regulations provide a guided form of 'self-regulation' with all burdens cast on the platforms, but the whip hand is left firmly in the hands of an Authorised Officer reporting to the Secretary Ministry of Information and Broadcasting.

This may need to be redressed by creating an autonomous Electronic Media Regulator with the participation of all sections drawn from civil society, industry, and the Government.

As late as March 17, 2021, Parliament was told that a Social Media Regulator is not envisaged today.

Whatever happens now will be interesting to watch in the coming weeks. ■

*'इंटरनेट के संबंध में आईटी अधिनियम में अश्लील सामग्री को प्रकाशित करने या प्रसारित करने पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है जिसमें यौन स्पष्ट कार्यकलाप या नाबालिक के साथ यौन संबंध रखने वाला अधिनियम धारा **67, 67** ए व **67** बी के तहत शामिल है।*

हलफनामें कहा गया है कि **धारा 69 ए** के तहत पुलिस अधिकारियों के साथ दायर शिकायतों की प्रकृति के आधार पर दंडात्मक उपायों के साथ आपराधिक कार्यवाही का भी प्रावधन है।

हलफनामें के मुताबिक *'सूचना तकनीकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया नैतिकता संहिता) नियम **2021** प्रकृति में व्यापक है और ओटीटी प्लेटफार्मो द्वारा प्रमुख दर्शक को ध्यान में रखते हुए और एक अच्छा संतुलन बनाये रखने के लिए तैयार किया गया है ताकि विभिन्न आयु समूह को ध्यान में रखा जाए, और एक स्वस्थ वगीकरण किया जा रहा है।'*

31 मार्च **2021** को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कन्नड न्यू पोर्टल 'प्रतिध्वनि' की ओर से ट्रुथ प्रो फाउंडेशन द्वारा दायर एक याचिका को दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया, जिसमें दावा किया गया कि नये नियम सूचना तकनीकी अधिनियम **2000** के अतिरेक हैं, क्योंकि वे समाचारों व वर्तमान मामलों के प्रकाशकों का वर्गीकरण निर्धारित करते हैं और नियम के भाग **3** के तहत समाचार पोर्टलों को विनियमित करने का प्रयास करते हैं।

निष्कर्ष

आने वाले सप्ताहों में सुप्रीम कोर्ट में दो दलीले सुनने के साथ स्पष्ट रूप से विनियमन या तो एक कानून में परिवर्तित हो जायेंगे या उन्हें अधिक विधायी शक्तियां प्रदान की जायेंगी।

फेसबुक/गुगल/एप्पल/नेटफ्लिक्स और अमेजन जैसे बड़े सोशल मीडिया दिग्गज चुपचाप शांत हैं। डिजिटल समाचार मीडिया यह मानता है कि असमान स्तर का खेल मैदान और प्रत्यक्ष विनियमन का समय अब खत्म हो चुका है।

एक सामान्य असुविधा जिसे कि जल्द ही संबोधित करने की आवश्यकता है वह यह है कि मौजूदा नियम सभी प्लेटफार्मो पर डाले गये सभी बोझों के साथ 'स्व-विनियम' का एक निर्देशित रूप प्रदान करता है लेकिन व्हिप का हाथ एक अधिकृत अधिकारी सूचना व प्रसारण मंत्रालय के सचिव के पास है।

नागरिक समाज, उद्योग और सरकार से खींचे गये सभी वर्गो की भागीदारी के साथ एक स्वायत्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक बनाकर इसका निवारण करने की आवश्यकता हो सकती है।

17 मार्च 2021 को संसद को बताया गया कि आज सोशल मीडिया नियामक की परिकल्पना नहीं की गयी है।

अब जो भी होगा आने वाले हफ्तों में देखना दिलचस्प होगा। ■